


FORM NO. III

फर्द अहकाम

2022/127

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (नियम 26)
बडीसादडी ज. चित्तौड़गढ़ मुकाम
आराजीयात वनाम आराजीयात
 किस्म मुकदमा सं. 88/2022 तनु

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही का शिर्षक	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/5/22	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय वहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा..... <u>ग्राम..... अरकिल कला</u> की <u>आ.न. 126, 0.32 ई. 129, 0.52 ई. } 0.8400 ई. की</u> विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे।</p> <p>प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रुपये 1000/- वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुक्मनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी</p>	

